न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी :– इन्द्र सिंह राव, आई.ए.एस.

अपील सं. 60/2013/एलआर

जीतु पिता दलीचन्द जाट
निवासी रावतिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलान्ट

बनाम

समस्त ग्रामवासियान रावतिया जरिये –
1. भेरूलाल पिता लालुराम जाट
2. गणेशलाल पिता रामलाल जाट
3. बद्रीलाल पिता कालुराम जाट
4. सत्यनारायण पिता मांगीलाल जाट
5. सम्पतलाल पिता रामलाल जाट
6. गणेशलाल पिता मोहनलाल जाट
7. सुरेश पिता रतनलाल जाट
8. भेरूलाल पिता रामलाल जाट
9. मांगीलाल पिता भुरालाल जाट
10. देवीलाल पिता शंकरलाल जाट
11. रतनलाल पिता लालुराम जाट
12. रामलाल पिता कवलचन्द जाट
    सभी निवासी रावतिया तहसील कपासन
13. राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार, कपासन जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956
विरूद्ध निर्णय अतिरिक्त कलेक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़
दिनांक 20.03.2013 प्रकरण संख्या 8/2012

उपस्थित – 1. श्री ललित झंवर – अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्रीमती वन्दना चौखडा – राजकीय अभिभाषक

निर्णय दिनांक– 16.01.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र (राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आंवटन) नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि उपखण्ड अधिकारी कपासन ने विपक्षी संख्या 1 को ग्राम मौजा रावतिया पटवार हल्का भूपालसागर हाल पटवार हल्का रावतिया तहसील कपासन की साबिक आराजी नम्बर 613/1 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वास मे से 15 बिस्वा कृषि हेतु आंवटन करने का ओदश

दिया है जिसके आराजी नम्बर 2156/1000 रकबा 0.1600 किस्म रास्ता है। उक्त आदेश विधि एवं तथ्यो के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2. अपीलान्ट एवं रेस्पाडेन्ट संख्या 13 के विरूद्ध अपीलान्ट संख्या 1 लगायत 12 ने अधीनस्थ न्यायालय के एक आवेदन अन्तर्गत धारा 14(4) भू–राजस्व अधिनियम का पेश किया जिसे बाद कार्यवाही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया उस निर्णय के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की है। प्रार्थीगणो ने अपने प्रार्थना पत्र की किसी भी तरह से ताईद नही कराई है। विवादित भू–भाग को रास्ता बताया है जबकि राजस्व रिकार्ड मे रास्ता अंकित नही है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत नक्शा ट्रेस से आंवटित आराजीयात अपीलान्ट की खातेदारी की भूमि से लगी हुई है जिससे छोटी पट्टी के रूप मे आंवटित हुई है एंव इसी कृषि भूमि को कुछ हिस्सा रेस्पोडेन्ट को भी आंवटन हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय ने मौके की स्थिति रेकार्ड पर आये बिना ही बिना किसी आधार एवं अधिकार के इस प्रकार का निर्णय करने मे वैधानिक त्रुटि की है। अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे एवं अपीलान्ट को किया गया आंवटन कायम रखाये जाने का आदेश प्रदान कराया जावे।

3. दौराने लिखित बहस प्रस्तुत कर वकील अपीलान्ट ने बयान किया कि ग्राम रावतिया तहसील कपासन की आराजी नम्बर 613/1 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा मे से छोटी पट्टी के रूप मे 15 बिस्वा आराजीयात आंवटित की गयी उक्त आंवटन को अतिरिक्त कलेक्टर चित्तौडगढ द्वारा दिनांक 20/03/2013 को निरस्त किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार के आंवटन निरस्त किया है। अपीलान्ट को भूमिहीन न मान आंवटन निरस्त किया है जबकि छोटी पट्टी के लिये ऐसा होना आवश्यक नही है। इसके अलावा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही हुआ जिससे अपीलान्ट के नाम पर 50 बीघा आराजीयात हो। जहां तक गैर काबिल काश्त भूमि आंवटन होने का प्रश्न है? उक्त भू–भाग आम रास्ता एवं अपीलान्ट की खातेदारी की आराजीयात के बीच मे स्थित है जिससे उक्त भू–भाग कृषि उपकरण व कृषि उपज रखने एवं मवेशी बाधने के काम मे लिया जाता है व पाली के रूप मे उपयोग होता है जिससे इस आधार पर आंवटन निरस्त नही किया जा सकता है। आंवटन वर्ष 1983 मे हुआ व उसका निरस्ती का आवेदन वर्ष 2012 मे पेश किया गया जो लभभग 30 बाद पेश हुआ है एवं प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा कोई फोढ एवं मिस रिप्रेजेन्टेशन किया है। उक्त आंवटन निरस्ती के कारण अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय की अंतिम पुष्टि के पैरा संख्या 5 मे दिये है जो

निराधार है। रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई उपस्थित नही है व अपील मे उठाये गये तर्को को कोई खण्डन भी नही है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अपीलान्ट को किया गया आंवटन कायम रखाया जावे।

4. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 12 अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय बहस सुनी गई। राजकीय अभिभाषक द्वारा दौराने बहस बयान किया गया कि न्यायालय अतिरिक्त कलेक्टर चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20/03/2013 विधिसम्मत होने के कारण अपील खारीज होने योग्य है।

5. बहस उभयपक्ष सुनी गई एवं मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। कृषि भूमि आंवटन की पत्रावली के अध्ययन से स्पष्ट है कि ग्राम रावतिया की आराजी नम्बर 613/1 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा मे से 15 बिस्वा भूमि गैर काबिल काश्त का भू–आंवटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 14/01/1983 को किया था। वक्त आंवटन भूमि तहसीलदार द्वारा विपक्षी (आंवटी) के नाम पूर्व मे ही 50 बीघा भूमि है। आंवटी के भूमिहीन होने के तथ्य को भूमि आंवटन हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले प्रार्थना पत्र मे अंकित नही किया है जिससे यह स्पष्ट नही होता है कि प्रार्थी (विपक्षी) भूमिहीन काश्तकार था, वही आंवटित भूमि के राजस्व अभिलेख अनुसार गैर काबिल काश्त रेकार्ड थी। नियमानुसार काबिल काश्त भूमि का ही आंवटन उद्घोषणा मे किया जाकर आंवटित किये जाने का प्रावधान है। ऐसी स्थिति मे प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। विपक्षी को ग्राम रावतिया की आराजी नम्बर 613/1 रकबा 01 बीघा 16 बिस्वा मे से 15 बिस्वा भूमि का आंवटन दिनांक 14/01/1983 को अधीनस्थ न्यायालय खारीज किया गया है। जिसमे किसी प्रकार की विधिक भूल होना जाहिर नही होता है। अतः अपील अपीलान्ट खारीज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय, अतिरिक्त कलेक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 8/2012 मे पारित निर्णय दिनांक 20/03/2013 को यथावत रखा जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(इन्द्र सिंह राव)
आई.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़